

मैसर्स ओमप्रकाश भाटिया

बनाम

सीमा शुल्क आयुक्त, दिल्ली

जुलाई 7, 2003

[एम.बी. शाह और अरुण कुमार न्यायाधिपतिगण]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962

धारा 2(23)- माल का निर्यात- अति चालान(ऑवर इनवॉइसिंग)- यदि प्रतिषिद्ध माल का निर्यात करने का प्रयास किया गया-अभिनिर्धारित किया-हाँ क्योंकि माल के अति चालान(ऑवर इनवॉइसिंग) में माल की सही विक्रय प्रतिफल का उल्लेख नहीं किया गया है तो यह माल के निर्यात की शर्त का उल्लंघन है।

धारा 14- माल का निर्यात- मूल्यांकन के उद्देश्य से माल का मूल्य- धारा 14 के तहत मूल्य या माल का मूल्य जो निर्यात करने वाला विदेशी बाजार में माल की विक्रय से प्राप्त करने की उम्मीद करता है- निर्धारित किया- निर्यात करने वाले को निर्यात किये गये माल का पूर्ण निर्यात मूल्य धारा 14 के अनुसार घोषित करना होगा, धारा 14 में मानदण्ड वह कीमत है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे या इसके समान सामान आमतौर पर विक्रय किये जाते हैं या विक्रय के लिए पेश किये जाते हैं,

जहां विक्रेता और क्रेता को एक दूसरे के व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं है और कीमत बिक्री प्रतिफल के लिए एकमात्र विचार है। फिर भी यदि माल की पूर्ण निर्यात कीमत सुनिश्चित नहीं की जा सकी तब माल का मूल्य वह है जो निर्यातक विदेशी बाजार में माल की बिक्री पर प्राप्त करने की उम्मीद करता है

धारा 113 डी- लागू की- निर्धारित किया- जब तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के विरुद्ध माल को निर्यात करने का प्रयास किया जाता है तो माल जब्त किया जा सकता है।

धारा 76- दोष (ड्रॉबैक)-दावा प्रासंगिक विचार- निर्धारित किया- देश में प्रचलित माल का बाजार मूल्य है ना कि वह मूल्य जो माल का निर्यातकर्ता विदेशी खरीददार से प्राप्त करने की आशा करता है।

धारा 2(23), 2(41), 14, 76, और 113(डी) निर्यातक माल का निर्यात चाहता है- माल का अति चालान- कमी के लिए दावा- पश्चात्पूर्ति स्तर दावे का प्रत्याहरण- हालांकि निर्यातक द्वारा शीपिंग बिल में उल्लिखित निर्यात मूल्य वास्तविक विक्रय प्रतिफल था, इस बाबत निर्यातक ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। विभाग ने पाया कि निर्यातकर्ता ने प्रारम्भ में जानबूझकर माल का अति बिलिंग कर कमी वापसी(ड्रॉबैक) का दावा किया था- माल को अधिहरण करने का और मोचन जुर्माना और जुर्माना

आरोपित का आदेश- न्यायाधिकरण ने अपील में आदेश को पुष्ट किया। प्राधिकारियों द्वारा मामलों के तथ्यों के आधार पर दिया गया निष्कर्ष उचित है और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

शब्दों और वाक्यांशों:

किसी वस्तु के सम्बन्ध में मूल्य- धारा के संदर्भ में अर्थ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2(41)।

“ निषिद्ध माल”- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2(33) के संदर्भ में अर्थ

अपीलार्थी- निर्यातक ने महिलाओं की स्कर्ट के 28000 नग 10.25 प्रति नग की दर से निर्यात करने हेतु शिपिंग बिल पेश किया। स्कर्ट की मात्रा 21184 नग पाई गई तथा स्कर्ट की बाजार कीमत 45 प्रति नग पायी गयी, जिसका कुल मूल्य रु. 9,53,280 पाया। इसके बाद निर्यातकों ने 78 रुपये प्रति नग की दर से भेजे गये सामान पर 21,87,800 रुपये वापसी का दावा किया। पूछताछ के दौरान निर्यातकों ने बताया कि बाजार मूल्य 45 रु. प्रति नग उन्हें स्वीकार्य था और उन्होंने ड्राबैक के लिए अपना दावा वापस ले लिया। सीमा शुल्क आयुक्त को मालूम हुआ कि निर्यातकों ने प्रारम्भ में जानबूझकर माल का अतिबिलिंग कर कमी वापसी का दावा किया गया तब आयुक्त द्वारा माल को जब्त करने का आदेश पारित किया

और मोचन जुर्माना और जुर्माना अधिरोपित किया। पीड़ित अपीलार्थी ने अपील दायर की जिसे यह इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि निर्यात के लिए माल का अति-बिल बनाना सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत एक अपराध था। इसलिए यह अपील प्रस्तुत की गयी।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि धारा 113(डी) के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं हैं क्योंकि माल प्रतिषिद्ध माल नहीं है: और इसीलिए निर्यातक को माल का वह बाजार मूल्य घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे वह भारत के बाजार में लाएगा, बल्कि उस माल का वह मूल्य घोषित करना होगा जो उसे विदेशी क्रेता से प्राप्त होने की उम्मीद है।

प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि अति चालान की अनुमति नहीं है क्योंकि यह अधिनियम के विधिक प्रावधानों का उल्लंघन है: और निर्यात के समय, निर्यातक को माल का सही मूल्य बताना होगा जो कि माल का वह मूल्य है जिसे वह भारत के बाजार में या विदेशी क्रेता से लाएगा।

मध्यस्थ ने यह तर्क दिया कि कुछ मामलों में, निर्यातक को देश में प्रचलित बाजार मूल्य की तुलना में माल का बहुत अधिक मूल्य मिल सकता है और इसलिए, केवल इसलिए कि उच्च निर्यात मूल्य का उल्लेख किया गया है, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि यह वास्तविक बिक्री प्रतिफल नहीं है।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:-

1. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2(33) प्रतिषिद्ध वस्तुओं को परिभाषित करती है, जिसमें, “ प्रतिषिद्ध माल” से वे माल अभिप्रेत है जिनका आयात या निर्यात इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिषेध के अधीन है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे माल नहीं है जिनकी बाबत उन शर्तों का अनुपालन किया गया है जिनके अधीन माल का आयात या निर्यात अनुज्ञात किया जाता है। इसके अलावा, धारा 11 केंद्र सरकार को किसी भी विनिर्दिष्ट विवरण के माल को आयात या निर्यात को पूर्णतया या ऐसी शर्तों के अधीन जो पूरी की जाये पहले या मंजूरी से बाद में, रोक लगाने का अधिकार देती है। {1418-एच; 419-ए, बी, सी}

शेख मोहम्मद ओमर बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता और अन्य। (1970) 2 एससीसी 728, संदर्भित।

2. अधिनियम की धारा 113 (डी) प्राधिकरण को अधिनियम या किसी अन्य प्रवृत्त कानून के तहत लगाए गए किसी भी 'निषेध' के विपरीत निर्यात किए जाने का प्रयास किए गए किसी भी सामान को जब्त करने का अधिकार देती है। इसलिए, धारा 113(डी) को लागू होने के लिए यह

आवश्यक है कि माल का निर्यात उस समय लागू किसी भी कानून के तहत लगाए गए किसी भी निषेध के विपरीत था। (1418-ई, एफ)

3. ऐसे मामलों में जहां निर्यात मूल्य सही से नहीं बताया गया है, यानी माल की सही बिक्री प्रतिफल पर विचार नहीं किया गया है, लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए जानबूझकर ओवर-इनवॉइसिंग की गई है, तो यह आयात/निर्यात की शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा। ऐसाका उद्देश्य मनी लॉनिंङ्ग या कोई अन्य उद्देश्य हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से अवैध/अनधिकृत धन लेनदेन की श्रेणी में आयेगा। किसी भी स्थिति में, ओवर-इनवॉइसिंग का परिणाम विदेशी मुद्रा में अवैध/अनियमित लेनदेन होगा। (424-एफ, जी)

4. सीमा शुल्क निश्चित करने के प्रयोजनों के लिए माल का मूल्य निर्धारित करने के लिए धारा 14 लागू होगी, इसके अलावा निर्यात किये जाने वाले माल के मूल्य के निर्धारण के लिए धारा 2(41) में प्रावधानित संदर्भ का सहारा लिया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए जो विशेष रूप से प्रावधान है कि किसी भी सामान के संबंध में मूल्य का मतलब धारा 14(1) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य है। यह शुल्क के लिए निर्यात किए जाने वाले माल की मूल्यांकनीयता के किसी भी प्रश्न से स्वतंत्र है। इसलिए, यदि माल का निर्यात मूल्य निर्धारित किया जाना है, तो भले ही इस मामले में कोई शुल्क नहीं लगाया गया, माल का मूल्य

निर्धारित करने हेतु धारा 14 में प्रावधानित विधि की पालना करना आवश्यक है। इसलिए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या निर्यात मूल्य वास्तव में शिपिंग बिल में बताया गया है, भले ही कोई शुल्क नहीं लगाया गया हो, इसे निर्यात किए जाने वाले सामान के वास्तविक निर्यात मूल्य का निर्धारण करने के लिए संदर्भित किया जा सकता है। (422-एफ, जी, एच; 423-ए, सी, डीआई)

5. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के साथ पठित धारा 2(41) और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 18 से यह स्पष्ट है कि निर्यातक को माल का पूर्ण निर्यात मूल्य (माल निर्यात के लिए बिक्री प्रतिफल) घोषित करना होगा। अधिनियम की धारा 14 के तहत मानदंड वह कीमत है जिस पर ऐसे या अन्य सामान आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान बेचे जाते हैं या बिक्री के लिए पेश किए जाते हैं, जहां विक्रेता और खरीदार को एक-दूसरे के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है और कीमत ही एकमात्र बिक्री के लिए या बिक्री के लिए प्रस्ताव प्रतिफल है। इसके अलावा, निर्यातक को यह पुष्टि करनी होगी कि माल का पूरा निर्यात मूल्य पूर्वनिर्धारित तरीके से प्राप्त होगा। यदि माल का पूर्ण निर्यात मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो यह वह मूल्य है जो निर्यातक विदेशी बाजार में माल की बिक्री पर प्राप्त करने की उम्मीद करता है। {420-जी, एच; 421-ए, बी, ई}

6. यदि माल बाजार में आसानी से उपलब्ध है, तो यह मानना मुश्किल होगा कि एक विदेशी क्रेता-विवेकपूर्ण व्यापारी रेडीमेड कपड़ों के प्रचलित बाजार मूल्य से दस गुना अधिक भुगतान करेगा, खासकर उन दिनों में जब जानकारी इंटरनेट या विभिन्न अन्य स्रोतों के माध्यम से आसानी से उपलब्ध है। किसी भी मामले में, जब लाभ का मार्जिन देखने पर अनुचित प्रतीत होता है, तो निर्यातक को यह बताना होगा कि यह शिपिंग बिल में बताया गया वास्तविक निर्यात मूल्य सही था। {1425-ए, बीआई}

7. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 76 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि किसी भी माल के बाजार मूल्य पर ड्राबैक की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो उस पर देय ड्राबैक की राशि से कम है। इसलिए, ड्राबैक प्राप्त करने के उद्देश्य से, सुसंगत प्रतिफल देश में प्रचलित वस्तुओं का बाजार मूल्य है, न कि उस माल की कीमत जो निर्यातक विदेशी क्रेता से प्राप्त करने की उम्मीद करता है। {1418-बी, सी}

8. मौजूदा मामले में, पूछताछ के दौरान निर्यातक ने स्वीकार किया कि बाजार मूल्य रु. 45 प्रति नग उसे स्वीकार्य था और ड्राबैक का दावा वापस ले लिया गया था। इसके बाद, निर्यातक ने इस बात का साक्ष्य नहीं दिया कि शिपिंग बिल में उल्लिखित निर्यात मूल्य सही प्रतिफल था। मामले के तथ्यों और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि वें उसी



निर्यातक से संबंधित दूसरा मामला था, अधिकारी का यह मानना था कि यह कपटपूर्ण कमी का दावा करने के लिए एक संगठित रैकेट था या रेडीमेड कपड़ों पर जानबूझकर अति चालान का मामला था। इसलिए प्राधिकरण ने मोचन जुर्माना लगाने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया। इसलिए प्राधिकारियों द्वारा दिया गया निष्कर्ष अनुचित नहीं है, अतः इस न्यायालय को हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। {425-ई, एफ, जी, एचआई}

तुलसीदास ज्यूरज बनाम अतिरिक्त कलेक्टर सीमा शुल्क एवं अन्य,  
(1991) 2 एससीसी 443, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4060/2001

आदेश संख्या 952/2000-ए. दिनांक 1.12.2000 सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील संख्या सी/220/99-ए।

अपीलकर्ता के लिए यशांक परवीन अध्यारू, ब्रज किशोर मिश्रा, सुश्री अपर्णा झा और एजाज मकबूल

मध्यस्थ के लिए दुष्यंत ए. दवे, बिजाय कुमार जैन, ए.के. जैन, राकेश जैन और आर. सिंह

प्रत्यर्थी के लिए (राजू रामचन्द्रन, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एस. रवीन्द्र भट्ट, सुश्री स्मिता इन्ना, टी.ए. खान, एस. गोवर और बी. कृष्णा प्रसाद के प्रत्यर्थी के लिए )

न्यायालय का फैसला न्यायाधिपति शाह ने सुनाया, इस अपील में विचार किए जाने वाले प्रश्न हैं:-

(ए) क्या निर्यात हेतु माल का अति चालान (ऑवर इन्वॉसिंग) प्रतिबंधित वस्तुओं के निर्यात का प्रयास माना जाएगा?और

(बी) क्या, माल निर्यात करते समय, निर्यातक को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 14 के तहत प्रतिबंधित माल का मूल्य या माल का वह मूल्य बताएगा जिसे विदेशी बाजार में माल की बिक्री से वह प्राप्त करने की उम्मीद करता है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

अपीलार्थी कपड़ों के निर्यात का कार्य करता है। अपीलार्थी को एक विदेशी क्रेता यानी दुबई से महिलाओं की स्कर्ट की आपूर्ति के लिए एक ऑर्डर मिला, जिसके लिए अनुबंधित कीमत लगभग 10.25 डॉलर प्रति नग बताई गई थी। अपीलकर्ता ने 1998 में महिलाओं के 28000 स्कर्ट के निर्यात के लिए 10.25 डॉलर प्रति पीस (434 रुपये प्रति पीस की राशि

1,21,54,447 रुपये) के हिसाब से 4 शिपिंग बिल पेश किए। जांच करने पर, स्कर्ट की वास्तविक मात्रा 21184 नग पाई। पूछताछ करने पर स्कर्ट की बाजार कीमत 45 रुपये प्रति नग पाई, जिसके अनुसार माल की कुल कीमत 9,53,280 रुपये पायी गयी। निर्यातकों ने इस माल पर 78 रुपये प्रति नग की दर से 21,87,800 रुपये का ड्रा बैंक दावा किया। उक्त माल की कमी के संबंध में दिनांक 4.2.1999 के पत्र के माध्यम से, निर्यातकों ने अभिवचन किया कि यह फैब्रिकेटर और आपूर्तिकर्ताओं की ओर से भूलवश हुई गलती थी। सुनवाई के दौरान, दिनांक 6.2.1999 ड्रॉबैंक के लिए, निर्यातकों द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि 45 रुपये प्रति नग का बाजार मूल्य उन्होंने स्वीकार किया था और ड्रॉबैंक के लिए उनका दावा स्वीकार नहीं किया गया था। सीमा शुल्क आयुक्त ने देखा कि यह उन्हीं निर्यातकों से संबंधित इस तरह का दूसरा मामला था और रेडीमेड कपड़ों पर जानबूझकर अति बिलिंग बनाकर कपटपूर्ण वापसी का दावा करने के लिए एक संगठित रैकेट था। सीमा शुल्क आयुक्त ने 10,00,000 रुपये का मोचन जुर्माना और 20,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह निर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 76 के अनुसार पक्षकार द्वारा माल का निर्यात करने पर कोई कमी (ड्रॉबैंक) नहीं माना था, क्योंकि माल का बाजार मूल्य दावा की गई वापसी की राशि से कम था।

उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) के समक्ष अपील दायर की। न्यायाधिकरण ने भी अपील को खारिज कर दिया और निर्धारित किया कि निर्यात के लिए माल का अति बिलिंग करना अधिनियम के तहत अपराध है। इसलिए उक्त अपील प्रस्तुत की गयी।

अपील की सुनवाई के दौरान, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अध्यारु ने तर्क दिये कि अपीलार्थी किसी भी कमी का दावा नहीं कर रहा है और इसलिए, इस प्रश्न के निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, उनका तर्क है-धारा 113(डी) वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं है क्योंकि माल निषिद्ध माल नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क दिये कि निर्यातक को उस माल का बाजार मूल्य घोषित करने की आवश्यकता नहीं है जिसे वह भारत के बाजार से प्राप्त करेगा। उसे उस सामान का मूल्य घोषित करना आवश्यक है जो उसे विदेशी क्रेता से प्राप्त होने की उम्मीद है और यही सीमा शुल्क अधिनियम के साथ-साथ संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप है।

दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री राजू रामचंद्रन ने तर्क दिया कि अधिनियम के तहत अति चालान की अनुमति नहीं है, यह कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि निर्यात के समय,

निर्यातक को माल का सही मूल्य बताना होगा और माल का सही मूल्य वह मूल्य होगा, जिसे वह भारत में बाजार में प्राप्त करेगा या जिसे वह विदेशी क्रेता से प्राप्ति की संभावना रखता है।

प्रारम्भ में, हम यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने धारा 76 के विशिष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए ड्रॉबैक पर जोर नहीं दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है- किसी वापसी की अनुमति नहीं दी जायेगी (बी) किसी ऐसे माल की बाबत जिसकी बाजार कीमत उस पर शोध्य वापसी की रकम से कम है इसलिए, ड्रॉबैक प्राप्त करने के उद्देश्य से, सुसंगत बिक्री प्रतिफल देश में प्रचलित वस्तुओं का बाजार मूल्य है, न कि उस सामान की कीमत जो निर्यातक विदेशी क्रेता से प्राप्त करने की उम्मीद करता है।

आगे जैसा की अधिनियम की धारा 113(डी) का हवाला देकर माल जब्त करने का आदेश पारित किया गया है, हम उसी उक्त धारा का उल्लेख करेंगे जो इस प्रकार से है-

113. अनुचित तरीके से निर्यात किये जाने वाले माल का अधिहरण:-  
-निम्नलिखित निर्यातित माल अधिहरण के लिए उत्तरदायी होगा

(डी) कोई माल जिसका इस अधिनियम या तत्सम्यम प्रवत्त किसी अन्य विधि के अधीन या उसके द्वारा अधिरोपित किसी प्रतिषेद्ध के प्रतिकूल

निर्यात किए जाने का प्रयास किया जाता है या जो निर्यात किए जाने के प्रायोजन के लिए किसी सीमा शुल्क क्षेत्र सीमा के अन्दर लाया जाता है।

उपरोक्त धारा प्राधिकरण को अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत किसी भी प्रतिषेध के विपरीत निर्यात किए जाने का प्रयास किए गए किसी भी माल को जब्त करने का अधिकार देती है। अतः उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए, यह आवश्यक है कि माल के निर्यात का प्रयास तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून के तहत प्रतिषेध के विपरीत था।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 2(33) निषिद्ध माल को निम्नानुसार परिभाषित करती है-

“प्रतिषिद्ध माल” से वे माल अभिप्रेत है जिनका आयात या निर्यात इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिषेध के अधीन है किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे माल नहीं हैं जिनकी बाबत उन शर्तों का अनुपालन किया गया है जिनके अधीन माल का आयात या निर्यात अनुज्ञात किया जाता है।

उपरोक्त परिभाषा से, यह कहा जा सकता है कि

(ए) यदि अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत माल के आयात या निर्यात पर कोई प्रतिषेध है तो उसे प्रतिषिद्ध माल माना जाएगा; और

(बी) इसमें ऐसा कोई भी माल शामिल नहीं है जिसके बाबत में उन शर्तों का अनुपालन किया गया है जिसके अधीन माल का आयात या निर्यात अनुज्ञात किया जाता है अर्थात् यदि किसी माल के आयात या निर्यात हेतु निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो उसे प्रतिबंधित माल माना जाएगा। धारा 11 जो केंद्र सरकार को प्राधिकृत करती है कि वह विनिर्दिष्ट वर्णन के माल का आयात या निर्यात राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या तो पूर्ण रूपेण या ऐसी शर्तों के अधीन जो पहले या बाद में पूरी की जाए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये प्रतिषेध कर सकती है। यह भी स्पष्ट है कि अधिसूचना उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए जारी की जा सकती है। इसलिए, आयात या निर्यात पर प्रतिबंध माल की निकासी से पहले या बाद में पूरी की जाने वाली कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन हो सकता है। यदि शर्तें पूरी नहीं होती हैं, यह प्रतिबंधित माल की श्रेणी में माना जा सकता है। यह इस न्यायालय द्वारा शेख मोहम्मद ओमर बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, कलकत्ता और अन्य, 1970, 2 एससीसी 728 में भी स्पष्ट किया गया है कि जिसमें यह तर्क दिया गया था कि अभिव्यक्ति "प्रतिषेध" जो धारा 111(डी) में प्रयुक्त किया गया है से तात्पर्य पूर्ण निषेध

से है और यह अभिव्यक्ति आयात नियंत्रण आदेश, 1955 के खंड (3) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को अपने दायरे में नहीं लाती है। न्यायालय ने उक्त तर्क को खारिज कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि -

धारा 111 का खंड (डी) कहता है कि कोई माल जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या उसके द्वारा अधिरोपित किसी प्रतिषेध के प्रतिकूल निर्यात किया जाता है, अधिहरण किये जाने योग्य है। इस धारा में उल्लिखित "कोई भी प्रतिषेध" हर प्रकार के "प्रतिषेध" पर लागू होता है। वह प्रतिषेध पूर्ण या आंशिक हो सकता है। आयात या निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध एक सीमा तक प्रतिषेध है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 111 (डी) में अभिव्यक्त "कोई भी प्रतिषेध" शब्द में प्रतिबंध शामिल हैं। केवल इसलिए कि आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3, तीन अलग-अलग अभिव्यक्तियों "प्रतिषेध", "प्रतिबंधित" या "अन्यथा नियंत्रित" का उपयोग करती है, हम धारा 111 (डी) में "कोई भी प्रतिषेध" शब्द के आयाम को कम नहीं कर सकते हैं "कोई भी प्रतिषेध" का अर्थ प्रत्येक प्रतिबंध से है। दूसरे शब्दों में सभी प्रकार के प्रतिषेध प्रतिबन्ध एक प्रकार का प्रतिषेध ही है। आयात नियंत्रण आदेश, 1955 की अनुसूची 1 के आइटम 1 से भाग 4 तक यह स्पष्ट है कि सभी प्रकार के जीवित जानवरों का आयात निषिद्ध है। लेकिन कुछ अपवाद भी दिए गए हैं लेकिन फिर भी प्रतिषेध जारी है।"



अन्य प्रश्न यह है कि- क्या तत्समय प्रवत किसी अन्य कानून के तहत कोई प्रतिषेध लगाया गया है।

इस संबंध में, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 18 महत्वपूर्ण है जिसका सुसंगत भाग इस प्रकार है-

18. निर्यातित माल के लिए भुगतान -(1)(ए) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सभी सामान या किसी भी सामान या वर्ग को भूमि, समुद्र या हवाई (इसके बाद इस खंड में निर्यात के रूप में संदर्भित) द्वारा ले जाने या भेजने पर रोक लगा सकती है। भारत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार विनिर्दिष्ट किसी भी स्थान पर अधिसूचना जब तक कि निर्यातक निर्धारित प्राधिकारी को ऐसे साक्ष्य द्वारा समर्थित निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा प्रस्तुत नहीं करता है जो निर्धारित या विनिर्दिष्ट किया जा सकता है और सभी भौतिक विवरणों में सत्य है, जिसमें अन्य शामिल होंगे। प्रतिनिधित्व करने वाली राशि-

(1) माल का पूर्ण निर्यात मूल्य; या

(2) यदि निर्यात के समय माल का पूर्ण निर्यात मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्यातक, विदेशी बाजार में माल की बिक्री पर प्राप्त होने की उम्मीद करता है और उक्त घोषणा में पुष्टि करता है कि माल का पूरा निर्यात मूल्य

(चाहे निर्यात के समय पता लगाया जा सके या नहीं) निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित तरीके से भुगतान किया गया है या किया जाएगा।

यह धारा इस बात पर विचार करती है कि निर्यातक को निर्धारित प्रारूप में निर्धारित प्राधिकारी को माल का सही विवरण की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी जिसमें निम्न शामिल हैं-

(ए) माल के पूर्ण बाजार निर्यात मूल्य का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि या वैकल्पिक रूप से,

(बी) यदि माल का पूर्ण निर्यात मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो वह मूल्य जो निर्यातक को विदेशी बाजार में माल की बिक्री पर प्राप्त होने की उम्मीद है, और

(सी) निर्यातक को यह पुष्टि करनी होगी कि माल का पूरा निर्यात मूल्य प्राप्त होगा।

धारा 18 के दो खंडों में इस बाबत कोई संदेह नहीं है कि निर्यातक को निर्यात किए जाने वाले माल के भारत में प्रचलित बाजार मूल्य का ही नहीं बल्कि उसे माल के वास्तविक निर्यात मूल्य को बताना आवश्यक है। अर्थात् निर्यातक को निर्यात माल के पूर्ण और सही बिक्री प्रतिफल मूल्य को बताना होगा। धारा 18 के तहत जारी अधिसूचना में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार शक्ति का प्रयोग करते हुए

वस्तुओं का निर्यात प्रतिबंधित कर सकती है, जब तक कि निर्यातक निर्धारित प्राधिकारी को माल के पूर्ण निर्यात मूल्य जिसे वह विदेशी बाजार में उनकी बिक्री पर प्राप्त करने की उम्मीद करता है या वैकल्पिक रूप से माल के मूल्य सहित सामग्री विवरण के निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा प्रस्तुत नहीं करता है। इसलिए, निर्यातक को प्राप्त होने वाली वस्तुओं के मूल्य को महत्व दिया जाता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि निर्यातक को घोषणा में पुष्टि करनी होगी कि माल का पूरा निर्यात मूल्य निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित तरीके से भुगतान किया गया है या किया जाएगा। इसके अलावा, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने उक्त धारा के तहत जारी अधिसूचना का उल्लेख किया, जिसका सुसंगत भाग इस प्रकार है -

जीएसआर 78-विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 18 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों का विभाग) की अधिसूचना संख्या जीएसआर 2641, दिनांक 14 नवंबर, 1969, का अधिक्रमण करते हुए केंद्र सरकार इसके द्वारा नेपाल और भूटान के अलावा भारत के बाहर किसी भी स्थान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी वस्तुओं के डाक के अलावा निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है, जब तक कि निर्यातक निर्धारित प्राधिकारी को ऐसे साक्ष्य द्वारा समर्थित निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा प्रस्तुत नहीं करता है जो निर्धारित या निर्दिष्ट किया जा

सकता है और जिसमें सभी भौतिक विवरण में सत्य है, जिसमें अन्य शामिल होंगे, प्रतिनिधित्व करने वाली राशि शामिल होगी -

(1) माल का पूर्ण निर्यात मूल्य, या

(2) यदि निर्यात के समय माल का पूर्ण निर्यात मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो मौजूदाबाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्यातक, विदेशी बाजार में माल की बिक्री पर प्राप्त होने की उम्मीद करता है और उक्त घोषणा में पुष्टि करता है कि माल का पूरा निर्यात मूल्य (चाहे निर्यात के समय पता लगाया जा सके या नहीं) निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित तरीके से भुगतान किया गया है या किया जाएगा। और उक्त घोषणा में पुष्टि करता है कि माल का पूरा निर्यात मूल्य (निर्यात के समय पता लगाया जा सकता है या नहीं) निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित तरीके से भुगतान किया गया है या किया जाएगा।

उपरोक्त प्रावधान के अलावा, माल के वास्तविक निर्यात मूल्य का पता लगाने के लिए, अधिनियम की धारा 14 समुचित प्रक्रिया प्रदान करती है। धारा 14 को धारा 2(41) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो "मूल्य" शब्द को परिभाषित करता है। धारा 2(41) इस प्रकार है-

एस. 2 (41)- 'मूल्य' से किसी माल के संबंध में उनका धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार अवधारित मूल्य अभिप्रेत है।

इसके बाद, धारा 14 का सुसंगत भाग इस प्रकार है

14. मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माल का मूल्यांकन।- (1) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के प्रयोजनों के लिए जिसके तहत किसी भी सामान पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। उनके मूल्य के संदर्भ में, ऐसे माल का मूल्य माना जाएगा-

वह कीमत जिस पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान, ऐसे या समान सामान आमतौर पर बेचे जाते हैं, या आयात या निर्यात के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए जैसा भी मामला हो बिक्री हेतु पेश किए जाते हैं, जहां विक्रेता और क्रेता को एक-दूसरे के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है और बिक्री या बिक्री के प्रस्ताव के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है परन्तु यह कि ऐसी कीमत की गणना उस तारीख को जिसको यथास्थिति धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया जाता है या धारा 50 के अधीन निर्यात का शिपिंग बिल प्रस्तुत किया जाता है यथाप्रवृत्त विनिमय की दर से प्रतिनिर्देश से की जाएगी।

(1ए) उपधारा (1) के प्रावधानों के अधीन, आयातित वस्तुओं के संबंध में उपधारा में निर्दिष्ट कीमत इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(2) उपधारा (1) या उपधारा (1ए) में किसी बात के बावजूद, यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आयातित वस्तुओं या निर्यात माल के किसी भी वर्ग के लिए टैरिफ मूल्य या उस या उसके जैसे माल के मूल्य की प्रवृत्ति का ध्यान में रखते हुए नियत कर सकेगी जहां टैरिफ मूल्य नियत किये जाते हैं वहां शुल्क ऐसे टैरिफ मूल्य के संदर्भ में देय ।

(3).....

उपरोक्त धारा, अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत शुल्क के मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्य का निर्धारण करने के लिए लागू होगी, जिसके तहत किसी भी माल पर उसके मूल्य के संदर्भ में सीमा शुल्क लगाया जाता है। वर्तमान मामले में, प्रश्नगत माल के निर्यात पर, अधिनियम के तहत कोई शुल्क देय नहीं था। इसलिए, यह तर्क दिया कि धारा 14 में निर्धारित मानदंडों को लागू कर माल के मूल्य का निर्धारण कोई कारण इस मामले में नहीं है। हमारे विचार से यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। माल के निर्यात मूल्य को निर्धारित करने के लिए,

हमें अधिनियम की धारा 2(41) में दिए गए "मूल्य" शब्द के अर्थ का संदर्भ लेना होगा। जो विशेष रूप बताता है कि माल का मूल्य वह है जो धारा 14 के उपखण्ड 1 प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसलिए, यदि माल का निर्यात मूल्य निर्धारित किया जाना है, तो भले ही कोई शुल्क वसूली न की हो, धारा 14 के तहत प्रदान की गई वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने की विधि (मोड) का पालन करना आवश्यक है। धारा 14 विशेष रूप से प्रावधानित करती है कि निर्यात के उद्देश्य के लिए मूल्य का आकलन करने के मामले में, मूल्य उस कीमत पर निर्धारित किया जाना चाहिए जिस पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान निर्यात के स्थान पर ऐसे समान या माल आमतौर पर बेचे जाते हैं या बिक्री के लिए पेश किए जाते हैं। जहां विक्रेता और खरीदार को एक-दूसरे के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है और बिक्री के लिए कीमत ही एकमात्र प्रतिफल है। इसमें कोई संदेह नहीं है, धारा 14 माल पर लगने वाले शुल्क या सीमा शुल्क के उद्देश्य से माल का मूल्य निर्धारित करने के लिए लागू होगी। इसके अलावा, माल के निर्यात मूल्य को निर्धारित करने के लिए धारा 2 की उप-धारा (41) के तहत प्रदान किए गए संदर्भ का सहारा लिया जाना चाहिए और इसे लागू किया जाना चाहिए। यह निर्यात किए जाने वाले सामान की मूल्यांकन क्षमता के किसी भी प्रश्न से स्वतंत्र है। इसलिए, यह पता लगाने के लिए कि क्या निर्यात मूल्य वास्तव में शिपिंग बिल में बताया गया है,

भले ही कोई शुल्क नहीं लगाया गया हो, इसे निर्यात किए जाने वाले माल के वास्तविक निर्यात मूल्य का निर्धारण करने के लिए लागू किया जा सकता है।

यह सच है कि अधिनियम की धारा 50 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि निर्यातक को सामान निर्यात करने से पहले निर्यात किए जाने वाले सामान के मामले में उचित अधिकारी के समक्ष एक शिपिंग बिल और निर्धारित प्रपत्र में निर्यात का बिल पेश करके उसकी प्रविष्टि करनी होगी। शिपिंग बिल और निर्यात बिल (फॉर्म) विनियम, 1991 अन्य बातों के साथ-साथ उक्त फॉर्म निर्धारित करता है। उसके बाद दिनांक 15.06.2021 से फॉर्म में संशोधन किया जाता है। यह तर्क दिया है जहां लागू हो वहां निर्यातक को "मूल्य एफओबी/पीएमवी बताना होगा। न्यायालय के इस तथ्य पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माल को वर्ष 1998 में निर्यात करने की मांग की गई थी।

उपरोक्त प्रावधानों से, मुख्य रूप से, अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित धारा 2(41) और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 18 से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि -

(ए) निर्यातक को माल का पूरा निर्यात मूल्य (निर्यात किए गए माल के लिए बिक्री का प्रतिफल) घोषित करना होगा।



(बी) निर्यातक को यह पुष्टि करनी होगी कि माल का पूरा निर्यात मूल्य निर्धारित तरीके से प्राप्त होगा।

(सी) यदि माल का पूर्ण निर्यात मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, तो मूल्य वह जो निर्यातक को विदेशी बाजार में माल की बिक्री पर प्राप्त होने की उम्मीद करता है।

(डी) निर्यातक को माल का सही या सच्चा निर्यात मूल्य अर्थात् माल की सही विक्रय प्रतिफल घोषित करना होगा। अधिनियम की धारा 14 के तहत वह कीमत है जिस पर ऐसे या अन्य सामान आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान बेचे जाते हैं या बिक्री के लिए पेश किए जाते हैं, जहां विक्रेता और खरीदार को एक-दूसरे के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है और बिक्री के लिए या बिक्री के लिए प्रस्ताव कीमत ही एकमात्र विचार है।

इसी प्रभाव के लिए, विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) नियम, 1993 के नियम 11 में प्रावधान है। इस नियम को विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 11(1) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो अन्य बातों के अलावा यह प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और उसके तहत बनाए गए आदेशों और उस समय लागू निर्यात और आयात नीति के प्रावधानों के सिवाय किसी

भी व्यक्ति द्वारा कोई निर्यात या आयात नहीं किया जाएगा। नियम 11 इस प्रकार है-

11. आयातित माल के मूल्य और गुणवत्ता के बारे में घोषणा- किसी भी माल के किसी भी सीमा शुल्क बंदरगाह में आयात या निर्यात पर, चाहे शुल्क के लिए उत्तरदायी हो या नहीं, ऐसे माल का मालिक सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत निर्धारित प्रवेश पत्र या शिपिंग बिल ,कोई अन्य दस्तावेजों में अपने सर्वाधिकतम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऐसे माल का मूल्य, गुणवत्ता और विवरण बताएगा और माल के निर्यात करने की दशा में यह में प्रमाणित करेगा कि उन दस्तावेजों में बताई गई माल की गुणवत्ता और विशिष्टताएं क्रेता या सामूहिक श्रेय के साथ किए गए निर्यात अनुबंध की शर्तों के अनुसार हैं, जिसके अनुसरण में माल का निर्यात किया जा रहा है और ऐसे विवरण की सत्यता की घोषणा ऐसे प्रवेश बिल या शिपिंग बिल या किसी अन्य दस्तावेजों में करेगा।

इसलिए, ऐसे मामलों में जहां निर्यात मूल्य सही नहीं बताया गया है, लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए जानबूझकर ओवर-इनवॉइसिंग की गई है, यानी माल की वास्तविक विक्रय प्रतिफल का उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह माल आयात/निर्यात की शर्तों का उल्लंघन होगा। ऐसा उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग या कोई अन्य उद्देश्य हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से अवैध/अनधिकृत धन लेनदेन की श्रेणी में आएगा। किसी भी स्थिति में,

निर्यात माल के ओवर-इनवॉइसिंग का परिणाम विदेशी मुद्रा में अवैध/अनियमित लेनदेन होगा।

विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दवे ने तर्क दिया कि कुछ मामलों में, निर्यातक देश में प्रचलित बाजार मूल्य की तुलना में माल का बहुत अधिक मूल्य प्राप्त करता है और इसलिए, केवल कि उच्च निर्यात मूल्य का उल्लेख किया गया है, यह नहीं माना जा सकता कि यह वास्तविक बिक्री प्रतिफल नहीं है। कुछ मामलों में, यह काल्पनिक तर्क सही हो सकता है फिर भी यह प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य पर निर्भर करेगा। यदि माल बाजार में आसानी से उपलब्ध है, तो यह मानना मुश्किल होगा कि एक विदेशी क्रेता, एक समझदार व्यापारी, रेडीमेड कपड़ों के प्रचलित बाजार मूल्य से दस गुना अधिक भुगतान करेगा, खासकर उन दिनों में, जब जानकारी इंटरनेट या विभिन्न अन्य स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध है। किसी भी मामले में, जब लाभ का मार्जिन प्रथमतया ही अनुचित प्रतीत होता है, तो निर्यातक को यह बताना होता है कि यह शिपिंग बिल में बताया गया निर्यात मूल्य सही था। धारा 14 यह बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान जिस कीमत पर ऐसी या उस जैसी वस्तु को आम तौर पर बेचा जाता है या बिक्री के लिए पेश किया जाता है, वह माल का मूल्य होगा।

तुलसीदास ज्युराज बनाम अतिरिक्त कलेक्टर सीमा शुल्क और अन्य..  
1991, 2 एससीसी 443 में, माल का पूरा निर्यात मूल्य जी.आर. फार्म के साथ शिपिंग बिलों में सही नहीं बताया गया था और यह मामला माल के पूर्ण निर्यात मूल्य के संबंध में कम मूल्यांकन का था। उपर्युक्त तथ्य, परिस्थितियों के तहत न्यायालय ने अधिकारियों द्वारा पारित आदेश की विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 12(1) का उल्लंघन हुआ था कि पुष्टि की।

वर्तमान मामले में, जैसा कि अधिकारियों ने पाया, महिलाओं की स्कर्ट के 28,000 नग 10.25 डॉलर प्रति नग की दर से, जिसका निर्यात मूल्य 1,21,54,447 रुपये बताया गया था, निर्यात करने की मांग की गई थी। ऐसी स्कर्ट की बाजार कीमत 45/- रुपये प्रति नग आंकी गई और उस आधार पर माल की कुल कीमत 9,53,280/- रुपये हुई। निर्यातक ने 21,87,800 रुपये की कमी का दावा इस आधार पर किया कि माल के प्रत्येक स्कर्ट का मूल्य 78/- रुपये प्रति नग था। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूछताछ के दौरान निर्यातक ने स्वीकार किया कि बाजार मूल्य रु. 45 प्रति नग उसे स्वीकार्य था और कमी/ड्रॉबैक का दावा वापस ले लिया गया। इसके बाद, निर्यातक ने कोई साक्ष्य नहीं दिया कि शिपिंग बिल में उल्लिखित निर्यात मूल्य निर्यात किए जाने वाले सामान के लिए सही विक्रय प्रतिफल था।

उपरोक्त तथ्यों और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि यह उसी निर्यातक से संबंधित दूसरा मामला था, प्राधिकारियों का यह मानना था कि यह धोखाधड़ी का दावा करने के लिए एक संगठित रैकेट था या रेडीमेड कपड़ों पर जानबूझकर अधिक बिल बनाने का कार्य था। इसलिए, प्राधिकरण ने मोचन जुर्माना लगाने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया। हमारे विचार में, उक्त प्राधिकारियों द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष किसी भी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता है, अतः अपील में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है। खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं है।

हमने इस अपील में अन्तर्निहित कानून के प्रश्न पर मध्यस्थ के विद्वान वकील को सुना था। अपील का तदुसार निपटान किया गया।

अपील खारिज की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीरज कुमार मित्तल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।